छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email: - office.rera.cg@gov.in Website:https://rera.cgstate.gov.in/

परिपत्र क्रमांक–74 / रेरा / पंजी. / 2022 / 967 दिनाँक 13/07/2022,

/ / परिपत्र / /

विषय :–प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु लंबित दस्तावेज जमा करने में विलंब के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्टस् के रजिस्ट्रेशन हेतु अपने परिपत्र क्रमांक – 03 दिनाँक 28.03.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसमे रियल एस्टेट प्रोजेक्टस् के त्वरित रजिस्ट्रेशन के उददेश्य् से प्रमोटर्स को वचन –पत्र (Under-taking) के साथ किंचित दस्तावेजो के बिना आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि उक्त लंबित दस्तावेज, आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत न करने पर विलंब शुल्क के अतिरिक्त पृथक से अर्थदण्ड आरोपित किए जावेंगें। इस संबंध मे परिपत्र क्रमांक –13 / रेरा / 2018 दिनाँक 25.06.2018, परिपत्र क्रमांक–14 / रेरा / 2018 दिनाँक 27.06.2018 में निर्देश जारी किये गये थे। इसी प्रकार परिपत्र क्रमांक–08 / रेरा / 2018 / 231 / दिनाँक 11.08.2018 के माध्यम से रेरा विनिर्दिष्ट खाते के बिना भी पंजीयन किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुसार संबंधित प्रमोटर को एक माह के भीतर खाते की जानकारी प्रस्तुत करनी थी। किन्तु रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत कतिपय प्रकरणों में यह परिलक्षित हो रहा है कि उक्त एक माह की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी कुछ प्रमोटर्स् द्वारा लंबित दस्तावेज प्रस्तुत करने में रुचि नहीं ली जा रही है, जो उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त जारी परिपत्रों में आंशिक संशोधन करते हुए प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

01. ऐसे लंबित दस्तावेजों (जो पंजीयन आवेदन के समय अप्राप्त थे) को आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह के भीतर हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किये जाने पर कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा।
02. ऐसे लंबित दस्तावेजों (जो पंजीयन आवेदन के समय अप्राप्त थे) आवेदन प्रस्तुत करने के एक माह पश्चात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर प्रति

दस्तावेज रुपये 2,000/– विलंब शुल्क देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा रुपये 20,000/– होगी।

03. ऐसे प्रोजेक्ट्स (जिन्होने प्रोजेक्ट के पंजीयन के समय रेरा विनिर्दिष्ट खाते की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है) द्वारा पंजीयन के एक माह के भीतर खाते की जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा।

04. ऐसे प्रोजेक्ट्स (जिन्होने प्रोजेक्ट के पंजीयन कें समय रेरा विनिर्दिष्ट खाते की जानकारी प्रस्तुत नहीं की है)। द्वारा पंजीयन के एक माह के विलंब पश्चात प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर विलम्ब शुल्क रुपये 10,000/– तथा एक माह से अधिक के विलम्ब से खाते की जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर अधिकतम रुपये 20,000/– विलम्ब शुल्क देय होगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग)